भारत सरकार और लेबनान गणराज्य की
सरकार के बीच वैमानिक व्यवस्था का करार

भारत सरकार और लेबनान गणराज्य की सरकार, जो इसके बाद करार करने वाले पक्ष कहे गये हैं,

7 दिसम्बर, 1944, को शिकागो में हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन समय के करार करने वाले पक्ष होने के नाते, जिस समय की शर्तों से दोनों पक्ष बाध्य हैं,

और अपने अपने भूभागों के बीच और परे विमान परिवहन व्यवस्थाएं चलाने के लिये करार करने की इच्छा से

नीचे लिखी बातों पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

(क) करार करने वाला हर पक्ष करार करने वाले दूसरे पक्ष को यह अधिकार देता है कि वह इस करार के अनुबन्ध में निर्दिष्ट हवाई व्यवस्थाएं (जिन्हें इसके बाद "निर्दिष्ट हवाई व्यवस्थाएं" कहा गया है) चलाए, और जैसा करार में उपबन्ध है, उसके भू-भाग को, भू-भाग से, या उससे होकर सवारियां लाए-लेजाए।

(ख) जैसा इसके अनुच्छेद 2 में उपबन्ध किया गया है, नामज़द हवाई कम्पनियों को अधिकार होगा कि वे -

(i) करार करने वाले दूसरे पक्ष के भूभाग में उतरे बिना पार जा सकें ;

(ii) यातायात के लिये हवाई अड्डों का, जो इस करार के अनुबन्ध में बताए गए स्थानों पर जनता के उपयोग के लिये बने हों, और सेवा सम्बन्धी-व्यवस्थाओं का, जो इसी अनुबन्ध में बताए हवाई मार्गों पर (जिन्हें इसके बाद "निर्दिष्ट हवाई मार्ग" कहा गया है) जनता के उपयोग के लिये बनी हों, उपयोग करें ;

(iii) निर्दिष्ट हवाई मार्गों पर चलते समय करार करने वाले दूसरे पक्ष के भूभाग में जनता के उपयोग के लिए बनाये गये सारे हवाई अड्डों और सेवा संबंधी व्यवस्थाओं का उपयोग यातायात के अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए करें :

लेकिन शर्त यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के काम में जो वायुयान लगे हों, उनके क़रार करने वाले पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने या वहां से जाने के सम्बन्ध में या उस भू-भाग के भीतर उनके काम करने और चलाने के सम्बन्ध में जो नियम-विनियम हैं, उनका पालन किया जाय।

अनुच्छेद 2

(क) क़रार करने वाले जिस पक्ष को वर्तमान क़रार के अधीन अधिकार मिल चुके हों, वह अपनी इच्छा से, तुरन्त ही या कुछ समय बाद, प्रत्येक निर्दिष्ट हवाई व्यवस्था को चालू कर सकता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब :-

(i) क़रार करने वाले जिस पक्ष को अधिकार दिये गये हों, उसने एक या अधिक हवाई कम्पनियों को (जिनको इसके बाद "नामज़द हवाई कम्पनी" या "नामज़द हवाई कम्पनियां" कहा गया है) उस मार्ग विशेष पर चलने के लिये नामज़द कर दिया हो ;

(ii) क़रार करने वाला जो पक्ष अधिकार देता हो, उसने उस हवाई कम्पनी या कम्पनियों को पैरा (ख) के अनुसार उचित चालन अनुमति दे दी हो, और शर्त यह है कि हवाई कम्पनी या कम्पनियां इस अनुच्छेद के पैरा (ग) की शर्तों को पूरा करती हों। यह अनुमति उसे अविलम्ब देनी पड़ेगी।

(ख) क़रार करने वाले हर पक्ष को अधिकार होगा कि वह नीचे लिखी स्थिति में किसी एक नामज़द हवाई कम्पनी की चालन आज्ञा रोक दे, या रद्द कर दे, या ऐसी शर्तें लगा दे जो वह आवश्यक समझे : क़रार करने वाले पहले पक्ष को यह इत्मीनान न हो कि उस हवाई कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व या प्रभावी नियंत्रण हवाई कम्पनी को नामज़द करने वाले दूसरे पक्ष या उसके राष्ट्रिकों के हाथ में है। यह कार्रवाई क़रार करने वाले पक्षों के बीच परामर्श हो जाने के बाद ही की जाएगी।

(ग) हो सकता है कि नामज़द हवाई कम्पनी को क़रार करने वाले जिस पक्ष ने अधिकार दिये हों, उसके वैमानिक अधिकारियों को

इस बात का इत्मीनान कराना पड़े कि उन अधिकारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्थाएं चलाने के लिये सामान्य रूप से जो नियम-विनियम बना रखे हैं उनकी या उनके अधीन समय-समय पर निश्चित की गयी शर्तों को पूरा करने की योग्यता उस हवाई कम्पनी में है ।

(घ) हर एक निर्दिष्ट हवाई व्यवस्था का चालन क़रार करने वाले सम्बन्धित पक्ष के इस क़रार के अधीन रहते हुए होगा कि निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर सिविल विमानन के लिये जो मार्ग संगठन है वह हवाई व्यवस्था के सुरक्षित चालन के लिये पर्याप्त है ।

<u>अनुच्छेद 3</u>

क़रार करने वाले हर पक्ष की निर्दिष्ट हवाई व्यवस्थाएं चलाने वाली नामज़द हवाई कम्पनी या कम्पनियां, अनुच्छेद 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के भू-भाग में, अनुबंध में बताये स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात उठा-उतार सकती है, चाहे इस यातायात का उद्गम और निर्दिष्ट स्थान क़रार करने वाले पहले पक्ष या किसी तीसरे देश का भू-भाग हो ।

<u>अनुच्छेद 4</u>

(क) क़रार करने वाले दोनों पक्ष किसी निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर जितना स्थान मुहैया करेंगे, उस मार्ग पर हवाई परिवहन के लिये जनता की ज़रूरतों से उसका निकट सम्बन्ध होगा और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिये क़रार करने वाले हर पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनियों को क़रार करने वाले दूसरे पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनियों के समान और उचित अवसर प्राप्त होंगे ।

(ख) निर्दिष्ट हवाई व्यवस्थाओं के चलाने में क़रार करने वाले हर पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनी या हवाई कम्पनियां क़रार करने वाले दूसरे पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनी या हवाई कम्पनियों के हितों का ध्यान रखेंगी, ताकि दूसरे पक्ष की जो व्यवस्थाएं किन्हीं निर्दिष्ट हवाई मार्गों या उनके किसी भाग पर चलती हों, उन पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़े ।

(ग) किसी निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर स्थान मुहैया करने में किसी नामज़द हवाई कम्पनी का पहला उद्देश्य उचित भार अनुपात में नामज़द करने वाले देश और उन देशों के बीच यातायात ले जाना होगा जो कि इस यातायात के अंतिम गंतव्य स्थान हैं। क़रार करने वाले हर पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनियां इस अनुच्छेद के पैरा (क) और (ख) के उपबन्धों के अनुरूप जो कुल स्थान हवाई कम्पनी मुहैया करे उसका उपयोग करते हुए निर्दिष्ट हवाई मार्गों पर तीसरे देश से आने वाले और वहां को जाने वाले यातायात को क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के भू-भाग में उठा-उतार सकती है।

अनुच्छेद 5

(क) क़रार करने वाले दोनों पक्षों के वैमानिक अधिकारी अपनी अपनी नामज़द हवाई कम्पनियों को क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के भू-भाग से, उससे होकर या वहां तक हवाई व्यवस्थाएं चलाने के लिए जो चालू अधिकार दें, उसके बारे में जितनी जल्दी हो सके, एक दूसरे को सूचना देंगे। इस सूचना में संशोधनों, छूट-आदेशों और अधिकृत व्यवस्था के नमूनों सहित निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर व्यवस्था के चालू प्रमाणपत्रों और अधिकार पत्रों की प्रतियां भी शामिल होंगी।

(ख) क़रार करने वाला हर पक्ष अपनी नामज़द हवाई कम्पनियों के दूसरे पक्ष के वैमानिक अधिकारियों के पास, जितना पहले हो सके, समय-सारिणियों और शुल्क-सूचियों की प्रतियां भिजवाएगा, जिनमें उनके फेर बदल भी शामिल होंगे। साथ ही निर्दिष्ट हवाई व्यवस्था के चालन से सम्बन्धित सारी सूचनाएं भी भिजवाएगा। उनमें ऐसी सूचनाएं भी शामिल होंगी, जिनसे वैमानिक अधिकारियों को इस बात का इत्मीनान हो सके कि इस क़रार की आवश्यक बातों का पूरा-पूरा पालन किया जा रहा है।

(ग) क़रार करने वाला हर पक्ष अपनी नामज़द हवाई कम्पनियों से दूसरे पक्ष के वैमानिक अधिकारियों को वे सब आंकड़े दिलवाएगा जिनका संबंध उस यातायात से हो जो उनकी हवाई व्यवस्थाओं द्वारा क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के भू-भाग को गया हो, वहां से आया हो या उससे होकर ले जाया गया हो। इन आंकड़ों में इस यातायात का उद्गम और गंतव्य स्थान भी दिखाया जायेगा।

अनुच्छेद 6

(क) शुल्क दरें उचित स्तर पर नियत की जाएंगी । इन्हें नियत करने में जिन संगत बातों पर उचित ध्यान दिया जाएगा उनमें तुलनात्मक किफ़ायती चालन व्यय और उचित लाभ भी शामिल होंगे ।

(ख) क़रार करने वाले हर पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनियां क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के भू-भाग को जाने वाले या वहां से आने वाले यातायात के सम्बन्ध में इस क़रार के अधीन जो शुल्क की दरें, और साथ ही एजेंसी कमीशन और घटौती की दरें लगाएगी उन्हें पहले क़रार करने वाले पक्षों की नामज़द हवाई कम्पनियां मिल कर तय करेंगी । अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था ने जो भी संगत शुल्क दरें मान ली हों, उनका इसके लिए उचित ध्यान रखा जायेगा । इस प्रकार तय की गयी शुल्क दरों पर, क़रार करने वाले दोनों पक्षों के वैमानिक अधिकारियों का अनुमोदन अपेक्षित होगा । अगर हवाई कम्पनियों और / या वैमानिक अधिकारियों के बीच कभी कोई मतभेद हो तो क़रार करने वाले पक्ष स्वयं ही समझौता करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे क़रार को अमल में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे । यदि क़रार करने वाले पक्ष सहमत नहीं हो सकते हैं तो झगड़े का निपटारा अनुच्छेद 11 के अनुसार किया जायेगा । नयी शुल्क-सूचियों के निर्धारण तक जो शुल्क-सूचियां पहले से चली आ रही हैं वे ही लागू होंगी ।

अनुच्छेद 7

नीचे लिखे विषयों के बारे में क़रार करने वाले पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनियों के साथ क़रार करने वाला दूसरा पक्ष जो व्यवहार करेगा, वह उस व्यवहार से कम अच्छा न होगा जो कि वह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्था चलाने वाली किसी परम मित्र राष्ट्र की या अपनी हवाई कम्पनियों के साथ करता हो : क़रार करने वाले एक पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनी के वायुयान क़रार करने वाले दूसरे

पक्ष के भू-भाग में जो ईंधन, मशीन तैल और फालतू पुर्जे लें और जो उस भू-भाग के अंतिम हवाई अड्डे से रवाना होने तक हवाई जहाज़ में ही रहे, उन पर लगने वाले सीमाशुल्क, निरीक्षण शुल्क और ऐसे ही दूसरे राष्ट्रीय शुल्क या प्रभार ; सामान्य उपस्कर या हवाई जहाज़ के दूसरे सामान पर जो या तो हवाई जहाज़ में लगा लिया हो या उसमें लादा गया हो और जो केवल उसी हवाई जहाज़ में या उसके द्वारा काम में आने वाला हो और जो उस भू-भाग के अंतिम हवाई अड्डे से रवाना होने तक हवाई जहाज़ में ही लगा रहे, उस पर लगने वाले सीमाशुल्क आदि । शर्त यह है कि क़रार करने वाला कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनियों को सीमाशुल्क, निरीक्षण शुल्क या इसी प्रकार के दूसरे राष्ट्रीय शुल्कों या प्रभारों में छूट या कमी करने के लिये बाध्य न होगा जब तक कि क़रार करने वाला दूसरा पक्ष भी क़रार करने वाले पहले पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनियों पर लगने वाले ऐसे ही प्रभारों में छूट या कमी न कर दे ।

अनुच्छेद 8

अगर क़रार करने वाले एक पक्ष की कोई नामज़द हवाई कम्पनी क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के नियम-विनियमों का पालन न कर सके, या अगर क़रार करने वाले एक पक्ष के निर्णय में उस हवाई कम्पनी ने इस क़रार में दी हुई शर्तों के अनुसार काम नहीं किया है, तो क़रार करने वाले हर पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह चालन अनुमति को रोक दे, रद्द कर दे या उस पर जैसी भी ज़रूरी समझे, उचित शर्तें लगा दे । शर्त यह है कि जब तक भविष्य में नियमों या विनियमों का अतिलंघन रोकने के लिए उन शर्तों को तत्काल निलंबित या लागू करना अनिवार्य न हो, यह कार्रवाई क़रार करने वाले पक्षों से परामर्श करने के बाद ही की जाएगी । इस अनुच्छेद के अधीन क़रार करने वाले एक पक्ष द्वारा कार्रवाई किए जाने पर अनुच्छेद 11 के अधीन क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के अधिकारों पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद 9

(क) इस बात का विश्वास दिलाने के लिये कि इस अनुच्छेद में बताये सिद्धान्तों का पालन होता है और उपबन्धों की पूर्ति की जाती है, क़रार करने वाले दोनों पक्षों के वैमानिक अधिकारी निकट सहयोग की भावना से नियमित रूप से परामर्श किया करेंगे ।

(ख) क़रार करने वाला जो भी पक्ष क़रार में संशोधन करना अभीष्ट समझे उसके लिए किसी भी समय दूसरे पक्ष से परामर्श की प्रार्थना कर सकता है । यह परामर्श प्रार्थना-पत्र की तारीख़ से साठ दिन की अवधि के अन्दर ही शुरू हो जाएगा । इस परामर्श के फलस्वरूप क़रार में जो भी फेर-बदल तय हो वह उनकी अपनी-अपनी संविधानी आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर और राजनयिक माध्यम से पत्रों की अदला-बदली से उनके पुष्ट हो जाने के बाद ही लागू हो सकेगा । क़रार के अनुबंध में जो भी संशोधन किया जाएगा वह तभी लागू होगा जब राजनयिक माध्यम से पत्रों की अदला-बदली से उसकी पुष्टि हो जाए ।

(ग) क़रार करने वाला कोई पक्ष, दूसरी नामज़द हवाई कम्पनी के निर्दिष्ट हवाई मार्ग पर बीच में रुकने वाले स्थानों को छोड़, अपने हवाई मार्गों में जो परिवर्तन करे, उसको इस क़रार का फेर-बदल न माना जायेगा, इसलिए, क़रार करने वाला कोई भी पक्ष इस प्रकार का परिवर्तन एक तरफा कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दूसरे पक्ष के वैमानिक अधिकारियों को उस परिवर्तन की सूचना जल्दी से जल्दी दी जायेगी । अगर दूसरे पक्ष के इन वैमानिक अधिकारियों को यह पता चले कि इस क़रार में निश्चित सिद्धान्तों को मानते हुए इस परिवर्तन से क़रार करने वाले पहले पक्ष की नामज़द हवाई कम्पनी के, दूसरे पक्ष के भू-भाग और किसी तीसरे देश के भू-भाग के किसी नए स्थान के बीच यातायात लेजाने के कारण दूसरे पक्ष की किसी हवाई कम्पनी के हितों की हानि होती है, तो दूसरे पक्ष के वैमानिक अधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के उपबन्धों के अनुसार परामर्श के लिये प्रार्थना कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 10

क़रार करने वाला कोई पक्ष किसी भी समय इस क़रार को ख़त्म करने की अपनी इच्छा का नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकता है। यह नोटिस साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को भी भेजा जायेगा। क़रार करने वाले दूसरे पक्ष को नोटिस मिलने की तारीख़ के एक साल की अवधि तक अगर समझौता करके यह नोटिस न लौटा दिया जाय तो यह क़रार ख़त्म हो जायेगा। यदि क़रार करने वाले दूसरे पक्ष से नोटिस की प्राप्ति-रसीद न मिले तो यह जान लिया जायेगा कि जिस दिन यह नोटिस अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन को मिला हो, उसके चौदह दिन बाद क़रार करने वाले दूसरे पक्ष को भी प्राप्त हो चुका है।

अनुच्छेद 11

(क) अगर वर्तमान क़रार के अर्थ करने या इसके लागू करने में क़रार करने वाले पक्षों के बीच कोई झगड़ा उठे तो सब से पहले क़रार करने वाले पक्ष ही आपस में बातचीत करके उसे तय करने की कोशिश करेंगे।

(ख) अगर क़रार करने वाले पक्ष बातचीत करके समझौता न कर पाएं,

(i) तो वे उस झगड़े को निर्णय के लिए किसी ऐसे विवाचन-अधिकरण या किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय को सौंपने के लिये आपस में सहमत हो सकते हैं, जिसे वे मिल कर नियुक्त करें;

(ii) यदि वे इस प्रकार सहमत नहीं होते, या झगड़े को किसी विवाचन-अधिकरण या किसी दूसरे व्यक्ति या निकाय को देने के लिये आपस में सहमत होते हुए भी वे उसकी संरचना के बारे में समझौता नहीं कर पाते हैं तो क़रार करने वाला कोई पक्ष उस झगड़े को फैसले के लिये किसी ऐसे अधिकरण को दे सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सिविल

विमानन संगठन के अन्तर्गत बना हो और इसका फ़सला करने के लिये सक्षम हो, या यदि ऐसा कोई अधिकरण न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को दे सकता है ।

(ग) क़रार करने वाले पक्ष जिम्मा लेते हैं कि इस अनुच्छेद के पैरा (ख) के अधीन जो भी फ़ैसला किया जायेगा और साथ जो भी अन्तरिम सिफ़ारिशें की जायेंगी, उनको मानेंगे ।

(घ) क़रार करने वाला कोई पक्ष या क़रार करने वाले किसी पक्ष की कोई नामज़द हवाई कम्पनी इस अनुच्छेद के पैरा (ग) में जो दरकार है यदि वह उसका पालन नहीं करता तो, और जब तक पालन नहीं करता तब तक, क़रार करने वाला दूसरा पक्ष उन अधिकारों को सीमित कर सकता है, रोक सकता है या रद्द भी कर सकता है, जो वर्तमान क़रार की बिना पर दिये गये हों ।

अनुच्छेद 12

इस क़रार का सत्यांकन किया जायेगा और सत्यांकन प्रलेखों की अदला-बदली की तारीख़ से ही यह लागू हो जायेगा ।

अनुच्छेद 13

यदि हवाई व्यवस्था के बारे में कोई ऐसा बहुपक्षी समय या क़रार सम्पन्न हो जिसे कि क़रार करने वाले दोनों पक्ष मानें तो वर्तमान क़रार में, उस समय या क़रार के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिये संशोधन कर लिया जायेगा ।

अनुच्छेद 14

(क) इस क़रार के लिये "भू-भाग," "हवाई व्यवस्था", "अन्तर्राष्ट्रीय हवाई व्यवस्था," और "हवाई कम्पनी" इन शब्दों का आशय वही होगा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन समय में निर्दिष्ट है । उक्त अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन समय पर 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) "वैमानिक अधिकारी" इस शब्द का आशय भारत के लिये प्रधान निदेशक, सिविल विमानन भारत से और लेबनान के लिये निदेशक, सिविल विमानन, लेबनान से है ; और दोनों के लिये किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है, जो उन कामों को करने का अधिकारी हो जो इन दिनों ऊपर कहे अधिकारी कर रहे हों ।

अनुच्छेद 15

इस क़रार के अनुबन्ध को क़रार का अंग समझा जायेगा, और जो भी क़रार का उल्लेख होगा, उसमें अनुबन्ध शामिल होगा अगर कहीं कुछ और स्पष्टतः न कहा गया हो ।

इसके साक्ष्य में अपनी अपनी सरकारों से उचित रूप से अधिकार पाकर नीचे लिखे पूर्णाधिकारियों ने हस्ताक्षर किये हैं ।

19 सितम्बर 1964 को बेरूत में हिन्दी, अंग्रेज़ी और अरबी भाषाओं में दो प्रतियां तैयार की गयीं । इसके तीन पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, और कहीं कोई संदेह होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा ।

भारत सरकार की ओर से	लेबनान गणराज्य की ओर से,